न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 10/2025

बउनवान

मुंशीराम सहरिया उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री सुल्तान सहरिया जाति सहरिया निवासी ग्राम भभूका तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०) पोस कोड 8721 प्राधिकार पत्र संख्या 314/2005 उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०) मो0नं0 9982329124 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 16.05.2024 कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां प्रकरण संख्या 05/2024 अन्तर्गत 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.02.2025

1– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश अधीनस्थ कार्यालय खिलाफ कानून व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है। दिनांक 04.01.2024 को श्री प्रमोद कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलान्ट की दुकान ग्राम रेलावन का निरीक्षण करने पर जो जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को सौंपी उसपर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। दिनांक 19.02.2024 को पत्रावली वास्ते व्यक्तिगत सुनवायी हेतु नियत की गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश लिखे, परन्तु पत्रावली पर प्रवर्तन निरीक्षक ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसके बाद दिनांक 20.03.2024 को पत्रावली वास्ते व्यक्तिगत सुनवायी हेतु नियत की गई। इसके बाद पत्रावली तारीख पेशी पर चलती रही तथा दिनांक 15.05.2024 को बिना सुनवायी निर्णय कर दिया गया तथा अपीलान्ट को इसकी कोई सूचना नही दी गई एवं दिनांक 15.05.2024 को ही अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाना चाहिये था। प्रमोद कुमार मीणा द्वारा दिनांक 20.03.2024 को रिपोर्ट दी गई थी एवं उसमें जो आरोप लगाये गये थे वह सब गलत है तथा बिना तथ्यात्मक रिपोर्ट के प्रकरण तैयार करके जिला रसद अधिकारी को भेज दिया एवं अपीलान्ट को कोई सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट ग्राम पंचायत रेलावन का लाईसेंसी है तथा नियम पूर्वक ग्राहकों को उपभोक्ता की वस्तुयें वितरण करता रहता है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी का कोई समय नही दिया तथा धारा 8 (2) में यह स्पष्ट आदेश है कि आदेश के अधीन रद्धकरण का कोई भी आदेश जब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्राधिकार धारक को प्रस्तावित रद्धकरण के विरूद्ध अपना पक्ष, कथन रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जावें तथा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 19.02.2024 को अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित कर दिया और अपीलान्ट को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो खिलाफ कानून है। जबकि अपीलान्ट के खिलाफ लगाये गये आरोप कतई झूठे है। अपीलान्ट के खिलाफ पूर्व में ऐसा कोई आरोप नही है कि उसने कोई अनियमितता की हो तथा वर्तमान में भी उसका समस्त स्टॉक बिल्कुल सही है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 15.05.2024 कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां को अपास्त किया जाकर तथा अपीलांट का लाईसेंस बहाल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय कलक्टर बारां (राज०)

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3– बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.01.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक अटरू ने अपीलान्ट की दुकान ग्राम रेलावन का निरीक्षण करने पर जो जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को सौंपी उसपर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। दिनांक 19.02.2024 को पत्रावली वास्ते व्यक्तिगत सुनवायी हेतु नियत की गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश लिखे, परन्तु पत्रावली पर प्रवर्तन निरीक्षक ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसके बाद दिनांक 20.03.2024 को पत्रावली वास्ते व्यक्तिगत सुनवायी हेतु नियत की गई। इसके बाद पत्रावली तारीख पेशी पर चलती रही तथा दिनांक 15.05.2024 को बिना सुनवायी निर्णय कर दिया गया तथा अपीलान्ट को इसकी कोई सूचना नही दी गई एवं दिनांक 15.05.2024 को ही अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवायी का कोई समय नही दिया तथा धारा 8 (2) में यह स्पष्ट आदेश है कि आदेश के अधीन रद्धकरण का कोई भी आदेश जब तक नही किया जायेगा, जब तक कि प्राधिकार धारक को प्रस्तावित रद्धकरण के विरूद्ध अपना पक्ष, कथन रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जावें। दिनांक 19.02.2024 को अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित कर दिया और अपीलान्ट को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो खिलाफ कानून है। जबकि अपीलान्ट के खिलाफ लगाये गये सभी आरोप कतई झूठे है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 15.05.2024 कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां को अपास्त किया जाकर तथा अपीलान्ट का लाईसेंस बहाल किया जावें।

4– इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इससे अपीलांट का यह कथन नितान्त असत्य है कि उसे सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जबकि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:20 IST
Reason: SelfAttested